

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023”

पीठासीन अधिकारी- अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
15 / 2023

दायर दिनांक
31.03.2023

निर्णय दिनांक
14.06.2023

अनवान

1. रतन लाल पुत्र चुन्नीलाल जाति बैरवा (चमार) आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भैरूलाल पुत्र हजारी उर्फ चुन्नीलाल जाति बैरवा (चमार) आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. चान्दी बाई पत्नी रतनलाल जाति बैरवा (चमार) आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. नारायणी बाई पत्नी भैरूलाल जाति बैरवा (चमार) आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जसराज पुत्र भेरा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गेहरीलाल पुत्र हजारी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. माधुलाल पिता कवलचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. चम्पालाल पुत्र गोपीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. शंकरलाल पुत्र नारायण जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. रामेश्वरलाल पुत्र डालु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. भूरा पुत्र शंकरलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. कैलाश चन्द्र पुत्र भैरूलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. उदयराम पुत्र छोगालाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. भगवान लाल पुत्र नारायण लाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. चम्पालाल पुत्र रामा जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. शान्तीलाल पुत्र शंकरलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. नारायणलाल पुत्र कवलचन्द जाति जटिया आयु वयस्क निवासी नारिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



14. मुकेश पुत्र उदयराम जाति जटिया आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. मदन लाल पुत्र लोभचन्द जाति खटीक आयु वयस्क निवासी हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. जसराज पुत्र भेरा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियमः—

—:: निर्णय ::—

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र हथियाना में पेश हुई। हाजिर प्रार्थीगण ने बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढी का है, व अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा रूदडी पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 494, 251, 252, 271, 272, 264, 270, 236, 237, 244, 245, 258, 267, 493, 92, 94 कृषि भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074-2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रूदडी पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 494, 251, 252, 271, 272, 264, 270, 236, 237, 244, 245, 258, 267, 493, 92, 94 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन